

बिहार सरकार  
श्रम संसाधन विभाग

॥ अधिसूचना ॥


पटना, दिनांक-07.06.2016

सं०-1/श्रम वि०ई० 7-7002/2011-श्र०सं०-28...../ वित्त विभाग की अधिसूचना सं० 4685 दिनांक 27.6.2003 के आलोक में श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा संवर्ग के पदाधिकारी श्री जीतेन्द्र प्रसाद सिंह को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली, 2003 के प्रावधानों के तहत दिनांक 02.01.07 से पे-बैंड 3, ग्रेड पे 6,600/- में प्रथम वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप वेतन नियतिकरण सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली के नियम 8 (1) के अनुसार किया जाएगा। वेतन नियतन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (ए) (i) के प्रावधानों के अनुसार होगा।

3. भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदत्त ए०सी०पी० योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(देव नन्दन यादव)


सरकार के अपर सचिव।

सं०-1/श्रम वि०ई० 7-7002/2011-श्र०सं०-28...../

पटना, दिनांक-07.06.2016

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/मा० मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/श्री जीतेन्द्र प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त प्राचार्य, मो०-राजपूत नगर, रोड नं०-4, हाउस नं०-188, पो०-हाजीपुर, थाना-इंडस्ट्रियल एरिया, जिला-वैशाली/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 4685 दिनांक 27.6.03 के अन्तर्गत निर्धारित सुसंगत प्रावधानों के अनुसार जांच कर यथानुमान्य वेतनपुर्जा निर्गत करें।



सरकार के अपर सचिव।